न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 3100 /विधि   सहरसा, दिनांक 19-10-2023

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, मधेपुरा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा सेवा अपील वाद सं0 56/2023 में दिनांक-17.10.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही उनके पत्रांक 1193-2/सा0 दिनांक-09.09.2023 से प्राप्त निम्न न्यायालय का संचिका सं0-11-306/2022 (टि0पृ0 01-12 एवं प0पृ0 01-31 तक) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

प्रतिलिपिः- श्री हरिवंश कुमार "मणि" चौकीदार 1/15, सिंहेश्वर थाना एवं पिता-राजेन्द्र प्रसाद मंडल, सा0-बैरबन्ना, वार्ड नं0-06, अंचल+थाना-सिंहेश्वर, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

19.10.23

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....

जिला....., सं0....., सन् १९.....तक

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
17/10/2023	**न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** **सेवा अपील वाद संख्या-56/2023** **हरिवंश कुमार "मणि".....अपीलकर्त्ता** **-बनाम-** **राज्य ..... रेसपॉण्डेन्ट** **-:आदेश:-** प्रस्तुत सेवा अपील हरिवंश कुमार "मणि" चौकीदार 1/15, सिंहेश्वर थाना एवं पिता-राजेन्द्र प्रसाद मंडल, सा0-बैरबन्ना, वार्ड न0-06, अंचल+थाना-सिंहेश्वर, जिला-मधेपुरा के द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक-323-2 दिनांक-11.03.2023 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14(iv) के आलोक में तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया गया है। संदर्भित मामला संक्षेप में निम्न प्रकार है :- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक-700/सा0 शा0, दिनांक-17.03.2022 से थानाध्यक्ष, सिंहेश्वर के ज्ञापांक-41, दिनांक-16/01/2022 के आधार पर जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को प्रतिवेदित किया गया कि आरोपी चौकीदार की ड्यूटी दुर्गा चौक, सिंहेश्वर में रात्रि पैदल गश्ती में लगाया गया, किन्तु वे चेकिंग के दौरान अनुपस्थित पाये गये। उनकी अनुपस्थिति के कारण दिनांक-14/15.01.2022 की रात्रि में दुर्गा चौक, सिंहेश्वर स्थित एक पान मशाला की दुकान में चोरी हो गयी। तदालोक में चौकीदार की लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता के लिए थानाध्यक्ष द्वारा उनके विरूद्ध	

कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। पुलिस अधिक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक–93/सा0शा0, दिनांक–20/01/2022 से अपीलार्थी को निलंबित किया गया। तत्पश्चात् निलंबित आरोपी चौकीदार के द्वारा थानाध्यक्ष, सिंहेश्वर के अग्रसारण के साथ निलंबन से मुक्त करने हेतु समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में दिनांक–12.03.2022 के प्रभाव से उन्हें निलंबन मुक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक–700/सा0शा0, दिनांक–17.03.2022 द्वारा आरोप प्रपत्र "क" गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही हेतु अनुशंसा की गई। तदालोक में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक–588–2/सा0, दिनांक–04.05.2022 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–16 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लेते हुए अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा को संचालन पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में आरोपी चौकीदार के विरूद्ध लगाये गये आरोप को सही पाया गया। तदालोक में सामान्य शाखा, मधेपुरा के ज्ञापांक–1438–2/सा0, दिनांक–02.12.2022 द्वारा अपीलार्थी से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। अपीलार्थी के द्वारा दिनांक–19.12.2022 को द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया, जिसे असंतोषजनक पाते हुए संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य से सहमत होते हुए अपीलार्थी को तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

अपीलार्थी के द्वारा दाखिल वादपत्र के माध्यम से उनके विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक–14/15.01.2022 की रात्रि में लगभग 02.00 बजे गश्ती के दौरान अकस्मात् अपीलार्थी के पेट में दर्द होने लगा, जिस कारण उनके द्वारा गश्ती ड्यूटी में शामिल साथी चौकीदार को बोलकर वे चिकित्सा हेतु जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा गये। अपीलार्थी के द्वारा उक्त महाविद्यालय का चिकित्सा पूर्जा नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष भी साक्ष्य के रूप में रखा गया, किन्तु उनके द्वारा उक्त पूर्जा का संज्ञान नहीं लिया गया। अपीलार्थी का कहना है कि वे जानबूझकर अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं हुए, बल्कि अचानक बीमार हो जाने के

कारण इलाज हेतु उन्हें जाना पड़ा तथा इलाज के कारण स्वस्थ हो जाने पर दिनांक-15.01.2022 को अपीलार्थी पुनः अपनी ड्यूटी पर आ गये। उनका कहना है कि अपीलार्थी के द्वारा पूरी सेवावधि में हमेशा पूरे उत्साह एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया गया है। कभी कोई गलती नहीं की गई है। अपीलार्थी का कहना है कि उनके द्वारा थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त किये बिना अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की गलती अस्वस्थ हो जाने की मजबूरी में की गई है। उनके द्वारा अपने इलाज का चिकित्सा पूर्जा संलग्न करते हुए मानवीय आधार पर उक्त गलती को क्षमा करने तथा निम्न न्यायालय आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों के परिशीलनोपरांत परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी के द्वारा बीमार होने के कारण कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने का साक्ष्य संलग्न किया गया है, किन्तु उनके द्वारा अपने नियंत्री पदाधिकारी को सूचित नहीं करने की गलती को स्वीकार किया गया है। उक्त के आलोक में समाहर्त्ता, मधेपुरा के द्वारा अधिरोपित दण्ड समानुपातिक नहीं है। अतः उक्त आदेश को रद्द करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-27(ग)(i) के तहत अपीलार्थी को भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

17/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

17/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।